

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री सगदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 337

प्रार्थनीगण

बनाम

दिनांक - 25/8/22

अप्रार्थीगण

1 गजरीदेवी पत्नी लेखसिंह 2 किशोरसिंह 3 सुमेरसिंह पिसरान लेखसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर मगरा हाल निवासी उदयन विद्या मन्दिर के पास बलदेव नगर 4 विरेन्द्रसिंह पुत्र लेखसिंह 5 भगवतीकंवर पत्नी लालसिंह 6 प्रेमसिंह 7 जितेन्द्रसिंह 8 सूरजसिंह 9 विक्रमसिंह पिसरान लालसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर मगरा हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर 10 चैनसिंह पुत्र मनजी उर्फ मानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर मगरा हाल निवासी नेहरू नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

1 विजयसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर मगरा 2 प्रकाश 3 पुरुषोत्तम 4 ईश्वर पिसरान गंगाराम जाति माली निवासी कल जी का पालिया के पीछे बाड़मेर मगरा 5 अणसी पत्नी राणाराम जाति माली निवासी सीएमएसओ ऑफिस के सामने नवजीवन हॉस्पिटल के पास लक्ष्मी नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 71/2022

दिनांक- 3/8/22

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर मगरा पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2456/350 रकबा 18.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखग स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के गद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)


उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

दिनांक- 25/8/22

क्रमांक :- रीडर/2022/ 337/74

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गजरीदेवी पत्नी लेखसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर मगरा हाल निवासी उदयन विद्या मन्दिर के पास बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी विजयसिंह पुत्र मनोहरसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर